

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 869

दिनांक :- 04/04/2018

आदेश संख्या : 09/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 में दिनांक 09/04/2018 से 01/06/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 09/04/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिंक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अनिता मीणा - [10497] जगदीश नारायण, 16/02/1989, 2387/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), निवाई, टोंक
2	बजरंग लाल मीणा - [10502] नाथू राम मीणा, 01/07/1991, 2632/2013	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, टोंक
3	भागचंद चौधरी - [10444] राधे श्याम चौधरी, 07/11/1994, 43/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, पीपलू, टोंक
4	भंवरी सान्डीवाल - [12552] रामप्रसाद जाट, 20/06/1990, 2668/2013	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, टोंक
5	भोजराज चौधरी - [10448] बद्री लाल चौधरी, 27/11/1986, 236/2013	डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेबरेज निगम लिमिटेड (एक्स काडर), टोंक
6	बृजेश कुमार वर्मा - [12660] किसन लाल वर्मा, 07/11/1991, 1307/2013	अधीक्षक अभियंता, परियोजना वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोंक
7	चरण सिंह चौधरी - [10461] रामकरण चौधरी, 02/07/1989, 1132/2013	अधीक्षक अभियंता, वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक
8	देवी लाल जाट - [10462] सत्यनारायण जाट, 11/07/1992, 1175/2013	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (एक्स काडर), मालपुरा, टोंक
9	दिनेश बैरवा - [10471] ओम प्रकाश बैरवा, 12/07/1989, 1596/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, देवली, टोंक
10	धनश्याम जैन - [10447] महावीर प्रसाद जैन, 07/08/1991, 187/2013	सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक
11	गौरी शंकर जाटव - [10489] गणेश जाटव, 13/06/1993, 2082/2013	पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, टोंक
12	हरिकेश मीणा - [10491] रामावतार मीणा, 03/07/1992, 2237/2013	सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, टोंक
13	हरेन्द्र गौतम - [10457] रमेश चंद गौतम, 03/09/1994, 873/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, टोंक
14	जगदीश प्रसाद गुप्ता - [10450] कृष्ण गोपाल गुप्ता, 08/01/1983, 341/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, उनियारा, टोंक
15	जय सिंह मीणा - [11953] भवरवार पाल मीणा, 15/10/1990, 2201/2013	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोंक
16	जितेंद्र राजवंशी - [10474] रामनिवास राजवंशी, 09/08/1992, 1741/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), पंचायती राज विभाग, टोंक
17	कल्पना प्रजापत - [10466] गणेश लाल प्रजापत, 18/12/1992, 1379/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मालपुरा, टोंक
18	क्षमा प्रेरणा चौहान - [10499] छोटू लाल चौहान, 05/02/1990, 2557/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, टोडारायसिंह, टोंक
19	कुलदीप खीची - [10476] कमलेश कुमार खीची, 24/08/1993, 1852/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उनियारा, टोंक
20	ललिता कुमावत - [10944] के एल कुमावत, 26/11/1985, 2505/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, चित्तौड़गढ़

21	लोकेश कुमार चौधरी - [10449] रामेश्वर प्रसाद चौधरी, 09/04/1993, 252/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक
22	लोकेश कुमार गुर्जर - [12654] घासी लाल गुर्जर, 05/08/1991, 949/2013	निदेशक, बहुउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्व विभाग, टोंक
23	मनीष चतुर्वेदी - [10508] रमेश चन्द शर्मा, 05/07/1983, 3181/2013	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सोहिला, टोंक
24	मनोज कुमार राजवंशी - [10493] रमेश चन्द बलाई, 01/08/1991, 2271/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), टोंक
25	मीना कंबर् - [10472] मंगेश सिंह राजावत, 04/10/1993, 1722/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निवाई, टोंक
26	मेघा गोयल - [10455] मुकेश गोयल, 26/07/1986, 567/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, देवली, टोंक
27	मोटा राम - [12171] बुधा राम, 21/08/1988, 1092/2013	अधिकाधी अभियंता, सर्वे एवं गुण नियंत्रण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक
28	नरेंद्र कुमार मीणा - [10500] राजा राम मीणा, 14/07/1992, 2579/2013	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, टोंक
29	नवीन शर्मा - [10456] ओमप्रकाश शर्मा, 16/05/1984, 592/2013	अधिकाधी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालपुरा, टोंक
30	नीलम जैन - [10465] विनोद कुमार जैन, 30/11/1993, 1208/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, मालपुरा, टोंक
31	प्रगति शर्मा - [12881] नाथू राम शर्मा, 31/03/1986, 931/2013	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर
32	प्रीती शर्मा - [10507] ओमप्रकाश शर्मा, 07/03/1988, 3106/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), मालपुरा, टोंक
33	पुष्कर राज - [10459] प्रभु दयाल जाट, 25/03/1989, 1082/2013	जिला कलक्टर (भू अभिलेख), राजस्व विभाग, टोंक
34	राधेश्याम सैनी - [10295] हरगोविंद सैनी, 12/12/1987, 274/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक
35	रघुनन्दन वर्मा - [10477] योगराज वर्मा, 01/11/1986, 1894/2013	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोंक
36	राहुल जैन - [10446] पद्म चंद जैन, 01/10/1992, 163/2013	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, निवाई, टोंक
37	राज सिंह - [10480] भंवर सिंह राजावत, 30/06/1989, 1966/2013	जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), टोंक
38	राजू लाल शर्मा - [11465] शम्भु दयाल शर्मा, 03/04/1989, 731/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी नरंगा, टोंक
39	राकेश कुमार मीणा - [9934] दुर्गा लाल मीणा, 28/06/1983, 2133/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाजपुर, भीलवाड़ा
40	राम किशन बैरवा - [10494] हजारी लाल बैरवा, 20/03/1990, 2284/2013	भू प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग, टोंक
41	राम सिंह कोठारी - [10464] हनुमान प्रसाद कोठारी, 27/04/1989, 1187/2013	अधिकाधी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोंक
42	रामीन बैरवा - [10488] प्रहलाद बैरवा, 01/07/1989, 1446/2013	अधिकाधी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोंक
43	रामरतन मीणा - [10489] केशरा लाल मीणा, 12/12/1992, 1453/2013	प्रभारी भौतिक स्थापन दल, निरीक्षण विभाग, टोंक
44	रेणु शर्मा - [10487] रामजबतार शर्मा, 10/10/1993, 1444/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, निवाई, टोंक
45	श्याम सुन्दर साहु - [11922] दुर्गा लाल साहु, 18/05/1990, 207/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक
46	श्यामसुख खान - [10451] बाबू मियाँ, 01/11/1992, 359/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक

47	शयो लाल गुर्जर - [10453] राम भजन गुर्जर, 25/10/1993, 468/2013	अधिकापी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उनियारा, टोंक
48	सीता चौधरी - [10478] राधा किशन चौधरी, 08/10/1990, 1925/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पीपलू, टोंक
49	सुमन मीणा - [11997] जय सिंह मीणा, 21/05/1994, 3091/2013	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, टोंक
50	सुमित कान्त परसोया - [12233] रामपाल परसोया, 30/08/1991, 2258/2013	प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बज़ीरपुरा, टोंक
51	सुनील कुमार शर्मा - [12833] सत्य नारायण शर्मा, 27/07/1988, 2611/2013	सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, टोंक
52	सुरभी गुप्ता - [10942] जगदीश चंद्र गुप्ता, 04/07/1988, 2392/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राबतभाटा, चित्तौड़गढ़
53	सुरेन्द्र कुमार मीणा - [10503] बाबु लाल मीणा, 02/05/1992, 2730/2013	परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम(एक्स काडर), टोंक
54	सुरेश चंद मेघवंशी - [10475] हरिश चंद मेघवंशी, 05/12/1989, 1796/2013	अधिकापी अभियंता, खण्ड तृतीय बीसलपुर परियोजना, जल संसाधन विभाग, देवली, टोंक
55	सुरेश चौधरी - [12763] भंवर लाल चौधरी, 04/05/1986, 2263/2013	जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), टोंक

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 31 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्चे पर (बिना टीए/डीए) किया जाता है।

(मंजुमा वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 869

दिनांक:- 04/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिकूल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

h
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)